VISION IAS

www.visionias.in

18 DEC 2..1

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1514)

Name of Candidate	RAVI		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	16817
Center	Delhi	Date	16/12/21

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Highlighting the changes introduced by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) Amendment Act, 2021, analyse various issues with the amended Act. **(150 words) 10**

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (GNCTD) संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए, इस संशोधित अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए।

अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के विपरीत दिल्ली का शासन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् एवं उपराज्यपाल के द्वारा 1991 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कुछ अपवादों (संघ सूची / राज्य सूची) के तहत शासित है।

हालिया संशोधन परिवर्तन

- 'सरकार' शब्द से तात्पर्य उपराज्यपाल होगा।
- विधायिका सरकार पर नियंत्रण (स्वयं या समिति के द्वारा) स्थापित करने वाला कोई कानून या नियम नहीं बनायेगी।
- दैनंदिन कार्यों हेतु नियम बनाने की शक्ति विधायिका नहीं बल्कि सरकार के पास होगी।
- मंत्रिमंडल के कार्यकारी निर्णयों को उपराज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- उपराज्यपाल द्वारा कोई भी विधान राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुद्दे (i) उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करना।
- (ii) जनता के शासन - लोकतंत्र की मूल भावना की उपेक्षा।
- (iii) उपराज्यपाल हेतु समय सीमा में स्वीकृति देने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं।
- (iv) कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण समाप्त
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत।
  - उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर कार्य करना चाहिये।
  - 'एनी मैटर' (Any metter) का अर्थ एवरी मैटर (every metter) नहीं → उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विधेयक ले जाना।

आगे की राह :- यद्यपि संघ सरकार का कहना है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया है किन्तु -
- व्यापक परामर्श किया जाना ज़रूरी।
- दिल्ली सरकार व जनता की भावनाओं की उपेक्षा उचित नहीं।

अत: विधायी जवाबदेहिता व कार्यकारी स्वतंत्रता के मध्य उचित संतुलन लाया जाना ज़रूरी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Are there valid arguments for continuing with sedition law in 21st century democratic India? Discuss in light of the debate surrounding it.
(150 words) 10

क्या 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए वैध तर्क विद्यमान हैं? इससे संबंधित वाद-विवाद के आलोक में चर्चा कीजिए।

IPC धारा 124(A) के तहत विद्यमान राजद्रोह कानून विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष (disaffection) को ~~सरकार~~ राजद्रोह के रूप में परिभाषित करता है।

जारी रखना : पक्ष

(i) जनविरोधी तत्वों से निपटने में।
(ii) जनभावना प्रदर्शित करने वाली सरकार को सुरक्षित रखने हेतु।
(iii) असामाजिक, अलगाववादी भावनाओं पर अंकुश लगाने हेतु।

विपक्ष

(i) दुरुपयोग की संभावना।
(ii) अपराध सिद्धि दर कम (2015-19 के मध्य 191 मामलों में केवल ~~पांच~~ 4 मामले (2%)
(iii) सरकार के प्रति असंतोष राष्ट्र के प्रति असंतोष नहीं है।
(iv) इस कानून के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ही सजा है —

→ लंबी न्यायिक प्रक्रिया।
→ मीडिया ट्रायल - 'देशद्रोही' का दर्जा
→ पासपोर्ट जब्त - सरकारी नौकरी हेतु अनर्ह।

आगे की राह (i) सर्वोच्च न्यायालय के केदारनाथ वाद, बलवंतसिंह वाद 1995 व कॉमन कॉज मामले के अनुरूप परिभाषा परिवर्तन - 'हिंसा' शब्द का समावेशन।
(ii) विधि आयोग की 2018 रिपोर्ट के अनुसार पुनर्विचार आवश्यक
(iii) हिंसात्मक मामलों को UAPA अधिनियम के अनुसार निपटा जा सकता है।
(iv) पुलिस बलों को प्रशिक्षित करना जरूरी।
(v) 'सजा' की तीव्रता व प्रक्रिया सुधार

'असहमति' व 'लोकतंत्र' साथ चलने वाली प्रक्रिया है। लोकतंत्र में असहमति को दबाने पर यह विरोध का रूप धारण कर सकती है इस रूप में उक्त कानून में संशोधन समय की मांग है।

3. Identify the issues that have contributed to a decline in the performance of Parliamentary Standing Committees. How can these issues be addressed? **(150 words) 10**

उन मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्होंने संसदीय स्थायी समितियों के प्रदर्शन में गिरावट में योगदान दिया है। इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

संविधान में वर्णित ये समितियाँ विधायी जाँच, विशेषज्ञ विचार-विमर्श के द्वारा कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का प्रमुख उपकरण है। उदा०- 'लोक लेखा समिति' द्वारा विनियोग लेखा द्वारा सरकारी खर्च की जाँच करना।

मुद्दे
- → सरकार द्वारा मुद्दे भेजा न जाना। • 15वीं लोकसभा = 71% बिल, 16वीं लोकसभा = 25% बिल
- → सदस्य उपस्थिति कम (50%)
- → छोटा कार्यकाल = 1 साल
- → विशेषज्ञता का अभाव।
- → 'राजनीतिकरण' का होना।
- → सरकारी हस्तक्षेप का होना।

समाधान
- → समितियों को बिल भेजना अनिवार्य बनाया जाये — (महत्वपूर्ण बिल)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) उपराष्ट्रपति का हालिया सुझाव – सदस्य कार्यकाल रद्द किया जाये।

(iii) अनुसंधान हेतु संसद में कार्यालय व कनाडा की भांति 'संसदीय बजट कार्यालय' की स्थापना।

(iv) सदस्यों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण देना। उदा० वित्तीय मुद्दे।

(v) उपस्थिति की अनिवार्यता हेतु नियम बनाना।

अतः लोकतंत्र को सरकार के तंत्र में या एकदलीय तंत्र में बदलने से रोकने हेतु व चर्चा गुणवत्ता व संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त सुझावों का क्रियान्वयन जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Despite being a non-constitutional body, the Prime Minister's Office (PMO) has wielded immense decision-making power in India. Discuss the advantages and issues associated with it. **(150 words) 10**

एक गैर-संवैधानिक निकाय होने के बावजूद, प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) के पास भारत में निर्णय-निर्माण की व्यापक शक्ति है। इससे संबद्ध लाभों और मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के नेतृत्व, नियंत्रण, अधीक्षण के अधीन संचालित होने वाला निकाय है जिसमें उन्हें प्रधान सचिव आदि से सहायता मिलती है।

व्यापक शक्तियाँ

(i) सभी विधेयकों पर नज़र।
(ii) सभी कार्यकारी निर्णयों की स्वीकृति का अंतिम मंच।
(iii) व्यापक नीति-निर्माणकारी व सलाहकारी कार्य।

लाभ

(i) मंत्रिमंडल के निर्णयों की अंतिम जाँच करना - त्रुटियाँ समाप्त।
(ii) वाद-विवाद को सुलझाना संभव।
(iii) चूंकि प्रधानमंत्री 'समान में प्रथम' है अतः उनका निर्णय प्रभावी होना चाहिये।
(iv) प्रधानमंत्री 'विज्ञान व प्रौद्योगिक परिषद्'

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैसे मंचों के माध्यम से विशेषज्ञ इनपुट।

हानियाँ

(i) मंत्रिमंडलीय शक्तियों का अभाव।
(ii) व्यापक चर्चात्मक निर्णयों का अभाव।
(iii) निर्णयों में 'जनता प्रतिनिधियों' के बजाय 'वरिष्ठ नौकरशाही' की भूमिका → (लोकतंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ)
(iv) अति केन्द्रीकरण
(v) सहायिकता के सिद्धान्त के खिलाफ।
(vi) संसदीय जवाबदेही का मुद्दा।
(vii) किचन कैबिनेट का प्रभाव।

आगे की राह

(i) इसे केवल रिवीजनकारी भूमिका निभानी चाहिये
(ii) महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय मंत्रिमंडलीय समितियों द्वारा लिये जायें।
(iii) पारदर्शिता व जवाबदेही लायी जाये।

अतः 'प्रतिनिधित्व' व 'जवाबदेहिता' के सिद्धान्त के अनुरूप सुधार आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Discuss the role of data in governance in India. Also, state the various challenges in this regard and suggest remedial measures.

(150 words) 10

भारत में शासन में डेटा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिए एवं उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

हाल ही में विश्व बैंक की 'विश्व विकास रिपोर्ट' में 'पब्लिक इंटरेस्ट डेटा' आदि अवधारणाओं के माध्यम से शासन में डेटा की भूमिका पर चर्चा की गई।

शासन में डेटा की भूमिका

- नीति-निर्माण साक्ष्य आधारित
- परिणाम आधारित क्रियान्वयन
- 'वन साइज फिट ऑल' के बजाय 'आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण' में सहायता।
- विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय को प्रोत्साहन बढ़ाने में
- विशेषज्ञतापूर्ण निर्णय
- जनसहभागिता विकास
- सटीक सेवा वितरण में
  - उदा॰ 'तेलंगाना का भगीरथ मिशन'
- प्रशासन दक्षता पारदर्शिता व जवाबदेहिता बढ़ाने में

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ (i) व्यापक तकनीकों का अभाव।
(ii) विश्लेषण में दक्ष कार्मिकों का अभाव।
(iii) डेटा दुरुपयोग व गोपनीयता (निजता)।
(iv) विखंडित डेटा का सख्लो में होना।
(v) भिन्न व्याख्याओं से बचाव का तंत्र न होना।

आगे की राह :- नीति आयोग के 'विकास निगरानी व अनुवीक्षण कार्यालय (DMEO)' के डेटा शासन क्वालिटी इंडेक्स' के अति प्रगति मापन।
(ii) विशिष्ट तकनीकी विकास।
(iii) अफसरशाही कौशल विकास।
(iv) B.N. श्रीकृष्ण समिति अनुशंसा पर 'डेटा संरक्षण अधिनियम।'
(v) डेटा संग्रहण, विश्लेषण, उपयोग को संस्थागत बनाना।

उपर्युक्त उपायों से डेटा ड्रिवन नीति-निर्माण क्रियान्वयन व प्रशासन में नये नवाचारों का समावेशन किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. With specific examples, elaborate upon the conditions that led to the emergence of a new civil society in urban India in the last few decades. Also, highlight its contribution towards effecting governance and policy changes. **(150 words) 10**

विशिष्ट उदाहरणों के साथ, उन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए जिनके कारण पिछले कुछ दशकों में शहरी भारत में एक नए नागरिक समाज का उदय हुआ है। साथ ही, शासन और नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावित करने में इसके योगदान पर प्रकाश डालिए।

विश्व बैंक के अनुसार – नागरिक समाज विभिन्न NGO, सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, स्वैच्छिक, समूहों व दबावसमूहों के व्यापक समुच्चय को संदर्भित करता है जो सरकार या राजनीति से बाहर रहकर कार्य करते हैं।

शहरी क्षेत्र में विकास के कारण

(i) 1970's व 1980's में 'सक्रियतावाद' का चरण – पर्यावरणीय व विकास आधारित समूहों का उदय जो सरकारी कार्यों के परिणामों से असंतुष्ट थे।

(ii) शहरी शिक्षा ↑ → जन जागरूकता वृद्धि।

(iii) समस्याओं का निरंतर बढ़ना।

(iv) अपर्याप्त सरकारी ढांचा - न्यूनतम आधारभूत सेवाओं की कमी। - 'सहभागिता के सिद्धान्त का उद्भव।

(v) नई आर्थिक नीति :- 'नव-उदारवादी सिद्धान्त' के अनुरूप सरकार द्वारा बढ़ावा। (चॉइस व वॉइस)

भूमिका (i) नीति निर्माण में - 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' द्वारा 'विदेश नीति' निर्माण सहयोग

(ii) अनुसंधान व सर्वेक्षण - प्रथम NGO
- CSE - पर्यावरण अनुसंधान।

(iii) जन- जागरूकता वृद्धि।

(iv) विधायी व कार्यकारी निर्वात / अंतराल को पूरा करना। :- 'युवा' जैसे संगठन मुंबई में मलिन बस्ती हटाने का विरोध।

(v) समावेशी राजनीति
महिला संगठन - SEWA = कामकाजी शहरी महिलाएँ विकास

इस प्रकार प्रतिनिधि- से सहभागी लोकतंत्र निर्माण के साथ -साथ बॉटम-अप एप्रोच के अनुरूप शासन में इनकी भूमिका असंदिग्ध है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The Gati Shakti mission has the potential to not only address the issue of infrastructure bottlenecks but also streamline the governance processes in the country. Elucidate. **(150 words) 10**

गति शक्ति मिशन में न केवल अवसंरचना संबंधी बाधाओं का समाधान करने की क्षमता है अपितु देश में शासन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की भी क्षमता विद्यमान है। स्पष्ट कीजिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Giving an account of the issues faced by workers in the informal sector, discuss whether the recently launched e-Shram portal can help in addressing them. **(150 words) 10**

अनौपचारिक क्षेत्रक में श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का विवरण देते हुए चर्चा कीजिए कि क्या हाल ही में प्रारंभ ई-श्रम पोर्टल उनका समाधान करने में सहायता कर सकता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों से तात्पर्य उन श्रमिकों से है जिन्हें सरकार द्वारा जारी किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलता। उदाहरण - नियमित दिहाड़ी वर्कर।

समस्याएँ

- निम्न कौशल विकास
- अत्यधिक संख्या के अनुरूप योगदान की गणना नहीं (NSSO = 80%)
- पिछड़ापन व हाशिये पर मौजूद
- मूलभूत सुरक्षा तक पहुँच नहीं
  - वित्तीय सेवा
  - बीमा
  - क्रेडिट
- रोजगार सुरक्षा का अभाव
- आधारभूत सुविधाओं तक पहुँच का अभाव - शिक्षा स्वास्थ्य आदि।
  - 'हायर व फायर आसान।

∴ सुनिश्चित डेटा के अभाव में सरकार भी इन पर ध्यान नहीं दे पाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ई-श्रम पोर्टल :- यह श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल है जिस पर इन श्रमिकों का डेटा रखा जायेगा।

लाभ (i) उपयुक्त डेटा निर्माण।

(ii) सरकारी सेवा तक पहुँच।

(iii) सामाजिक सुरक्षा उपाय- (पेंशन, बीमा)

(iv) नई 'सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता' में निहित फंड व लाभों तक पहुँच।

(v) आगामी सरकारी नीतियों में इनकी आवाज पहुँच सकेगी।

आगे की राह :- पोर्टल के साथ साथ सक्रिय रूप से सरकार को इनके प्रभावी डेटा, विकास के उपायों व कौशल उन्नयन पर ध्यान देना होगा ताकि आगामी तकनीकी युग व उद्योग 4.0 के युग में ये पीछे न रह जायें।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Clarifying the significance of the recent developments on the issue of global minimum tax, discuss its prospects and challenges for India.

(150 words) 10

वैश्विक न्यूनतम कर के मुद्दे के संदर्भ में हालिया घटनाक्रमों के महत्व को स्पष्ट करते हुए, भारत के लिए इसकी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

हाल ही में G-20 आदि के मंचों पर वैश्विक न्यूनतम कर के संबंध में राष्ट्रों में सहमति देखी गई। इन प्रस्तावों के अनुसार विश्व में कॉर्पोरेट कर की न्यूनतम मात्रा उनके लाभ की 15% होनी चाहिये।

हालिया घटनाक्रमों के संबंध में

(i) बढ़ता डिजीटलीकरण।

(ii) बड़े डिजीटल जायंट्स द्वारा कर अपवंचन।

(iii) बेस इरोजन व प्रोफिट शिफ्टिंग के मुद्दे।

(iv) टैक्स हैवन देशों में कंपनी स्थापित करने के मुद्दे। (कम करों की दर)

भारत के संबंध में संभावनाएँ

(i) कर आधार वृद्धि :- OECD के अनुमानों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 9 Bl $ का कर अपवंचन होता है।

(ii) FDI वृद्धि :- मॉरिशस आदि देशों के बजाय सीधा निवेश।

(iii) डबल टैक्स परिहार समझौते (DTAA) से जुड़ी समस्याओं पर लगाम।

चुनौतियाँ :- भारत में प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स दर 22% है। इस संबंध में -

→ भारत में निवेश गिरावट भी हो सकती है।

→ अनुपालन बाधाओं के कारण 'व्यापार सुगमता' प्रभावित हो सकती है।

→ अधिक करारोपण - वस्तु व सेवा मंहगी
→ गरीब जनता पर भार।

इस संबंध में भारत में विश्व के अन्य देशों के साथ वार्ता- संवाद व द्वारा OECD, G-20, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर इस विचार पर आम सहमति का प्रयास करना चाहिये।

10. Announcement of the AUKUS security pact heralds a new era of global geo-politics. Comment. Also, discuss how it may affect India's interests. **(150 words) 10**

AUKUS सुरक्षा समझौते की घोषणा ने वैश्विक भू-राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, चर्चा कीजिए कि यह भारत के हितों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

हाल ही में अमेरिका, युनाइटेड किंगडम व ऑस्ट्रेलिया के मध्य सुरक्षा समझौता सम्पन्न हुआ जिसे ऑकस नाम दिया गया।

नये युग की शुरुआत

(i) नये सहयोगी :- परंपरागत नाटो को छोड़ तीन सहयोगी नये हैं - ऑस्ट्रेलिया का सुरक्षात्मक संगठनों में प्रवेश।

(ii) रक्षा व तकनीक आदान प्रदान पर ज़ोर
- ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियों जैसे रक्षा उत्पादों का विक्रय → इंडो पैसिफिक के सैन्यकरण को बढ़ावा दे सकता है

(iii) 'क्वाड' या फ्रांस से परे :-
- फ्रांस की असंतुष्टि - ऑस्ट्रेलिया से रक्षा समझौता निरस्त।
- 'क्वाड' में व्यापक सहयोग के बाद अमेरिका का नया गठबंधन।

(iv) इंडो पैसिफिक पर व्यापक प्रभाव की क्षमता।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार यदि यह गठबंधन सक्रिय रहा तो चीन के संतुलन के साथ व्यापक इंडो पैसिफिक पर प्रभाव होंगे।

भारत पर प्रभाव

नकारात्मक
- क्षेत्र का सैन्यकरण भारत के 'निवल सुरक्षा प्रदाता' की भावना को कमज़ोर।
- 'क्वाड' पर असमंजस
- अमेरिका की अनिश्चितता
- फ्रांस की नाराजगी।

सकारात्मक
- विदेश सचिव द्वारा क्वाड से इसे अलग करने का बयान।
- फ्रांस से नये सहयोग
  - रक्षा, स्पेस में
- क्षेत्र में ऐसे संगठन सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- चीन संतुलन।
- नियम-आधारित शासन

आगे की राह :- भारत को 'रणनीतिक स्वायत्तता' से -
- फ्रांस के साथ संबंध सुदृढ करने चाहिये।
- क्वाड पर सहयोग जारी रखना चाहिये।
- क्वाड + पर भी फोकस कर सकते हैं।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नये-नये मोड़ों पर भारत को संतुलित रवैया अपनाना चाहिये व अपने हितों में कार्य करना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Effective devolution of finances is an important requirement for Panchayati Raj Institutions (PRIs) to fulfill their objectives. Discuss while also elaborating on the reasons behind lack of financial resources for PRIs in India. **(250 words) 15**

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रभावी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। भारत में PRIs के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हेतु उत्तरदायी कारणों का वर्णन करते हुए चर्चा कीजिए।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई व 11वीं अनुसूची के द्वारा इनकी शक्तियों के क्षेत्र निर्धारित किये गये।

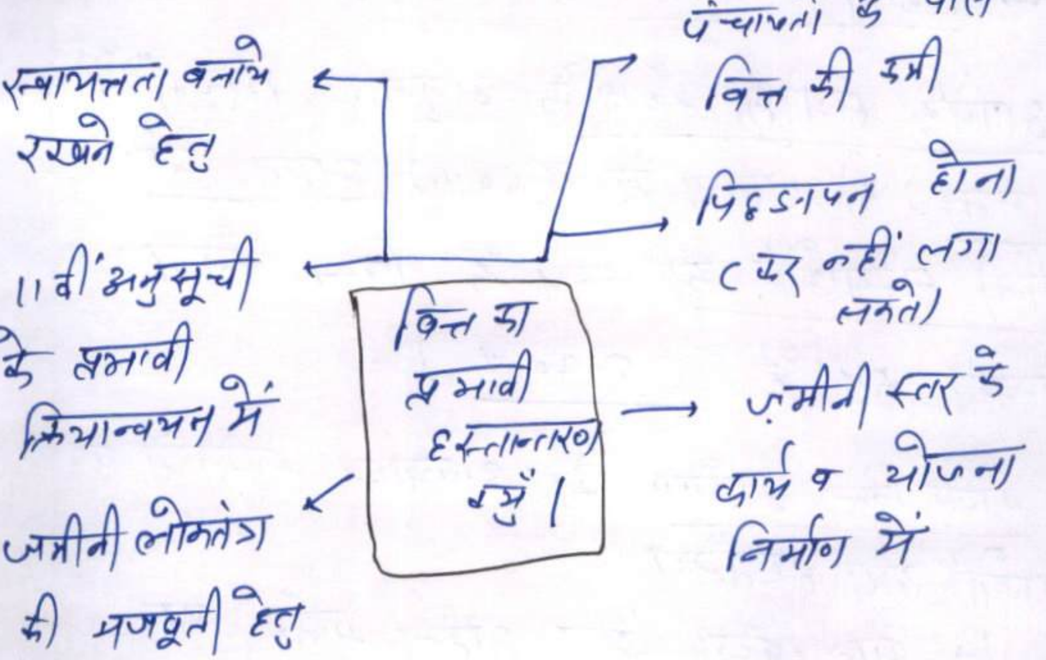

उपयुक्त आवश्यकताओं के बावजूद निम्न कारणों से पंचायतें ~~का~~ वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझती हैं —

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(i) राज्य सरकारों द्वारा 'पर्याप्त हस्तान्तरण' न किया जाना। – केरल जैसे राज्यों को छोड़कर अन्य ने नहीं।

(ii) पंचायतों की स्वयं की क्षमता कम होना
- → आवश्यक कौशल का अभाव।
- → स्थानीय स्तर पर विरोध की आशंका।
- → कराधान शक्तियों का न दिया जाना।
- → 'प्रभावी कार्मिकों' का अभाव।

· आर्थिक समीक्षा 2018 के अनुसार पश्चिमी देशों (जर्मनी) की तुलना में (60%) भारत में जमीनी संस्थाओं का स्वयं के वित्त स्रोत अत्यन्त कम है (5-20%)

(iii) राज्य वित्त आयोग की अपर्याप्त शक्तियाँ व राज्यों द्वारा हस्तक्षेप।
- ↳ आन्ध्रप्रदेश द्वारा अर्हता मानकों का बदला जाना।
- → गोवा में सरकारी सचिव नियुक्ति।

(iv) वित्त आयोग (केन्द्र) द्वारा प्रदर्शनकारी अनुदानों की शर्तें रखना।

आगे की राह • पर्याप्त हस्तान्तरण किया जाये

- शक्तियों का
- धन का
- कराधान शक्तियों का

• वित्त आयोग (केन्द्र) की संदर्भ शर्तों (TOR) में प्रावधान किये जा सकते है।

• पंचायत स्तर पर
  - → प्रशिक्षण दिया जाये।
  - → कार्मिक भर्ती हो
  - → तकनीकी उन्नयन हो।

• नवाचारी करों का विकास किया जाये।

इसके अलावा 'स्वामित्व योजना' आदि के द्वारा संपत्ति अधिकारों के डिजीटलीकरण द्वारा पंचायतों के लिये कर वसूलना आसान होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Judicial activism is a necessary tool to guard against "legislative adventurism and executive excesses". Critically discuss in the context of the doctrine of separation of powers as provided in the Constitution of India.

(250 words) 15

"विधायी जोखिम और कार्यकारी अतिक्रमण" से रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता एक आवश्यक उपकरण है। भारत के संविधान में यथा प्रदत्त शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

'न्यायिक सक्रियता' से तात्पर्य न्यायालय के समाज में व्यापक न्याय की स्थापना के लिये एक सक्रियतावादी की भाँति अग्रसक्रिय रूप से व्यवहार करने से है।

आवश्यकता

(i) संविधान में निहित :- अनुच्छेद-142 के अनुसार न्यायालय पूर्ण न्याय देने के लिये डिक्री या आदेश जारी कर सकता है।

(ii) "शक्ति अंतराल" को भरने के लिये।

(iii) कार्यकारिणी की निरंकुशता पर अंकुश लगाने हेतु :- उदाहरण 'आधारभूत संरचना' सिद्धान्त संसद की असीमित संशोधनकारी शक्ति पर अंकुश लगाने हेतु था।

(iv) न्यायालय की संविधान के रक्षक की भूमिका निभाने हेतु।

- संविधान के विरुद्ध - कानून रद्द करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) राजनीति को स्वच्छ बनाने हेतु - लिलि थॉमस वाद (2013)।

(vi) मूल अधिकारों की रक्षार्थ :-(अनुच्छेद 32)
- हुसैनारा खातून वाद के बाद 40000 कैदियों को रिहा किया गया।

शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त से टकराव

(i) न्यायालय का कार्य न्याय करना है, कार्यकारी में हस्तक्षेप करना नहीं।

(ii) जनहित याचिका ↑ - न्यायालय वाद लंबितता

(iii) क्रियान्वयन विशेषज्ञता का अभाव।

(iv) लोकतंत्र के सिद्धान्त की उपेक्षा
└ प्रदूषण नियंत्रण, पटाखे बैन करना कार्यपालिका के कार्य हैं।

(v) न्यायालय में जवाबदेही का अभाव

अतः उपर्युक्त स्थितियों में 'न्यायिक संयम के सिद्धान्त' का हवाला दिया जाता है कि इससे अतिसक्रियता में कमी आयेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह

(i) न्यायालय को सक्रियता व अतिक्रमण की महीन रेखा को पार नहीं करना चाहिये।

(ii) अनुच्छेद 142 का प्रयोग 5 सदस्यीय पीठ में किया जाये।

(iii) अवांछित PIL पर जुर्माना लगाया जाये।

(iv) न्यायालयी आदेशों व प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जाये।

(v) अव्यावहारिक निर्णयों से बचना।

उदा॰ इलाहाबाद हाइकोर्ट का सिविल सेवकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का निर्णय।

अतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के अनुरूप न्यायिक सक्रियता को न्यायिक निरंकुशतावाद में तब्दील नहीं होना चाहिये।

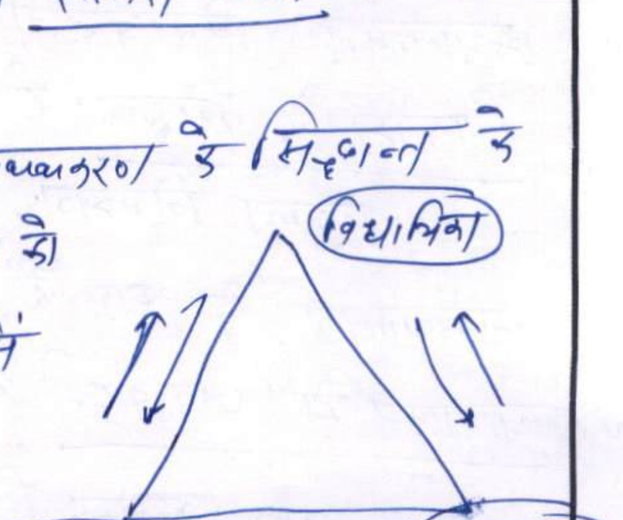

13. The electoral bond scheme is part of what appears to be a growing trend away from transparency and accountability in electoral funding. Critically analyse. **(250 words) 15**

चुनावी बॉण्ड योजना उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति का भाग है जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही से दूर जाने की प्रतीत होती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

चुनावी बॉण्ड एक अनाम वित्तीय उपकरण है जिसका प्रयोग राजनीतिक दलों को वित्तीय दान करने में किया जाता है। वित्त अधिनियम 2017 के तहत यह अस्तित्व में आया।

चुनावी बॉण्ड के लाभ

- चुनावी चंदे का डिजीटलीकरण।
- बैंकिंग प्रणाली से जाने से औपचारिक प्रवाह।
- काले धन पर लगाम।
- अनामता के कारण दानदाता के राजनीतिक दलों के उत्पीड़न से बचाव।
- चुनावी में 'कैश' की व्यापकता को कम करने में सहायक।

कमियाँ : पारदर्शिता व जवाबदेहिता के परिप्रेक्ष्य में :→ विभिन्न संस्थाओं व

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आयोगों के अनुसार :-

चुनाव आयोग
- चुनावी बॉण्ड से चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता का ह्रास हुआ है।
- 'अनामता' से 'काले धन' को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- चुनावों में धन के प्रयोग को बढ़ावा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
- यह बॉण्ड KYC मानकों का उल्लंघन करता है - पारदर्शिता ↓
- धन के प्रवाह पर निगरानी रखना मुश्किल।

विधि आयोग: 2018
- कंपनियों द्वारा लाभ के 7.5% दान की सीमा हटाने से राजनीति में कॉर्पोरेट दखल बढ़ सकता है व 'क्रॉनी कैपिटलिज्म' को बढ़ावा।
- कंपनी के अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेही में कमी।

अन्य
1. SBI एक सरकारी संस्था है अतः सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है।
- 'शैल कंपनियों' में वृद्धि हो सकती है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालिया RTI के अनुसार- संपूर्ण धन का 97% 10 लाख/अधिक राशि में व 90% से अधिक सत्ता पक्ष को गया है।

आगे की राह

- अनामता के बजाय पारदर्शिता लाई जाये।
- 'राष्ट्रीय इलेक्टोरल फंड' का सृजन - संपूर्ण धन इसी में जाये → इससे पार्टियों में वोट प्रतिशत के अनुरूप बाँटना।
- विदेशी फंडिंग (सहायक कंपनियों के माध्यम से बंद की जाये। (FCRA=2018 संशोधन)
- चुनावी दलों को RTI में लाया जाये।

उपयुक्त उपायों के अलावा नकदी प्रणाली के बजाय उपयुक्त KYC के साथ डिजीटल लेनदेन करने से भी इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The significance of the principle of subsidiarity was well reflected in the management of the COVID-19 pandemic. Analyse. **(250 words) 15**

समनुषंगिता (सब्सिडियरिटी) के सिद्धांत का महत्व कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में बेहतर रूप से परिलक्षित हुआ है। विश्लेषण कीजिए।

सहायिकता का सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का समर्थन करता है जिसके अनुसार कोई भी कार्य जिसे शासन के निचले स्तरों पर किया जा सकता है, उसका अभ्यास ऊपरी या शीर्ष स्तरों पर नहीं किया जाना चाहिये।

उदाहरण - ग्रामीण क्षेत्र में जल-आपूर्ति का कार्य केन्द्र द्वारा न कर स्थानीय स्वशासन के स्तर पर करना चाहिए।

कोविड के दौरान : परिलक्षित

क्यों
- हर जगह परिस्थितियाँ भिन्न थी
- प्रसार अलग-जगह अलग-अलग था।
- सामाजिक परिस्थितियाँ भी अलग-अलग थी।

उदाहरण

(i) केरल द्वारा राज्य में महत्वपूर्ण कदम उठाना।

(ii) अन्य मॉडल - राजस्थान का भीलवाड़ा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मॉडल।
- आगरा मॉडल।
- द्वितीय लहर में मुंबई में प्रबंधन किया जाना।

चूंकि इन जगहों पर परिस्थितियों में भिन्नता थी अतः वहाँ पर उनके अनुरूप प्रशासन ने निर्णय लेकर नवाचारी कदम उठाये जिससे प्रबंधन उन्नत हुआ।

सिद्धान्त की उपेक्षाएं

(i) प्रथम लॉकडाउन में केन्द्र द्वारा राज्यों से परामर्श न लिया जाना।

(2) सूक्ष्म प्रबंधन :- केन्द्र द्वारा सामान्य कार्यों पर नियम निर्माण।

(3) वन साइज फिट ऑल पद्धति प्रयोग :-

(4) अन्तर्राज्यीय समन्वय का अभाव :- आपूर्ति की अन्तर्राज्यीय बसों को रोका जाना।

(5) वैक्सीन व स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति का केन्द्र द्वारा नियंत्रित किया जाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) महामारी अधिनियम 1897, IPC आदि की धाराओं के व्यापक उपयोग द्वारा केन्द्रीकृत उपागम अपनाना।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह सिद्धान्त प्रथम लॉकडाउन के समय अस्तित्व में कम नज़र आया। केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दी। हालांकि कई राज्यों व क्षेत्रों ने अपने परिस्थिति आधारित नियम निर्माण के द्वारा इस सिद्धान्त का अच्छा प्रयोग किया।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Social media has ushered in greater transparency and accountability in governance. But accountability through social media is no alternative to institutional accountability. Analyse. **(250 words) 15**
सोशल मीडिया ने शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत की है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जवाबदेही संस्थागत जवाबदेही का विकल्प नहीं है। विश्लेषण कीजिए।

सोशल मीडिया से तात्पर्य उन नेटवर्कों, अनुप्रयोगों, प्लेटफॉर्मों से है जिनके माध्यम से व्यक्ति सामग्री सृजन कर सकता है, संवाद कर सकता है व चित्र आदि शेयर कर सकता है।
उदा.- फेसबुक, ट्विटर आदि।

सोशल मीडिया व पारदर्शिता

(i) प्रशासन के कार्य कैमरे की नज़र में है।
(ii) 'प्रशासनिक लापरवाही' पर जनता की प्रतिक्रिया दबाव उत्पन्न करती है।
(iii) सरकार द्वारा सूचना पारदर्शिता उपाय :-
- ई-गवर्नेंस उपाय।
- डेटा शेयरिंग पर अभिगम्यता नीति 2012।

(iv) कोरोना के दौरान अनेक जगहों में सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन करने से सुधार के कदम उठाये गये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सोशल मीडिया व जवाबदेही :-

(i) हालिया संदेशों में छत्तीसगढ़ प्लेयर द्वारा लड़के को थप्पड़ मारना, नेताओं द्वारा बंदूक चलाना आदि वीडियो के वायरल होने से जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।

(ii) पुलिस ज्यादती आदि के बाद फेसबुक लाइव जैसे उपायों के कारण।

(iii) 'ट्विटर' पर शिकायत :
→ रेल मंत्रालय
→ विदेश मंत्रालय
] त्वरित रिस्पोंस

किंतु सोशल मीडिया के निम्न दुष्प्रभाव भी है-

(i) अधिकारी पर दबाव- वीडियो का
(ii) स्वतंत्रतापूर्वक कार्य न करने देना।
(iii) विभिन्न हित समूहों द्वारा अपने पक्ष में दबाव बनाया जा रहा है।
(iv) ईमानदार अधिकारियों की छवि कलंकित करने की प्रवृत्ति।
(v) वीडियो को कांट-छांटकर प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(vii) मीडिया ट्रायल का दबाव।

संस्थागत जवाबदेही तंत्र

आंतरिक
- वरिष्ठ
- सिटीजन चार्टर
- CVC, CBI
- लोकपाल, RTI

बाह्य
- CAG
- सर्वोच्च न्यायालय

अतः अधिकारियों के भयमुक्त कार्य, अनामता के सिद्धान्त, तटस्थता से व दबावमुक्त कार्य करने देने के लिये पारंपरिक जवाबदेही तंत्र उपयुक्त है। जिसमें गोपनीय रिपोर्ट के द्वारा तटस्थ मूल्यांकन होता है।

सोशल मीडिया इस प्रणाली का पूरक हो सकता है, प्रतिस्थापक नहीं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Although the State has the right incentives and intentions to deliver public services efficiently, its capacity to do so is questionable. Critically discuss in the context of India. **(250 words) 15**

यद्यपि राज्य के पास सार्वजनिक सेवाओं के कुशलतापूर्वक वितरण हेतु उचित प्रोत्साहन और उद्देश्य विद्यमान हैं, तथापि ऐसा करने की उसकी क्षमता संदिग्ध है। भारत के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

सार्वजनिक सेवाओं के वितरण से तात्पर्य विभिन्न आधारभूत सेवाओं यथा स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर सामग्रियों को उत्पादन के स्थल से ज़रूरतमंद तक प्रभावी वितरण से है। उदाहरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

राज्य के पास प्रोत्साहन
- सेवा की भावना
- संसाधन क्षमता का होना।
- लोकतांत्रिक समाज में विकास करने की भावना।
- निर्धनों की आवश्यकताएँ।
- स्वतंत्रता से प्रमुख निर्वाह।

उद्देश्य
- सामाजार्थिक विकास।
- संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों (39-A, 39-B, 47) आदि को लागू करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारत का समावेशी विकास करना।

क्षमता का विश्लेषण

- (i) प्रभावी वित्तीय संसाधन का होना।
- (ii) अधिशेष अनाज उत्पादन।
- (iii) परिपक्व सरकारी मशीनरी।
- (iv) शासन के निचले स्तर तक शासन का प्रसार।

क्षमतागत चुनौतियाँ

- गरीबी में कमी
2006-16 = 271 मिलियन कमी।

(i) कुप्रथाएँ : भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही लीकेज आदि।

(ii) आजादी के 70 वर्ष बाद भी पूर्ण सत्यापित डेटा का अभाव।

(iii) निर्धनों की आवश्यकतानुरूप व जमीनी वास्तविकता के अनुरूप शासन व प्रशासन का अभाव।

(iv) नीति क्रियान्वयन के मुद्दे

उदाहरण :- विश्व बैंक की सामाजिक पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक 95/116

है तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत 131/188 वें स्थान पर है।

आगे की राह

- शासन व सिविल सेवा सुधार।
- डेटा प्रणाली सुधार।
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रयोग किया जा सकता है।
- 'आय-उपागम' के बजाय सशक्तिकरण उपागम का प्रयोग।
- प्रो-पुअर (pro-poor) के बजाय समावेशी विकास पर ज़ोर।

इस प्रकार हालांकि हमने विकास प्रक्रिया में प्रगति की है मगर सुधारवादी सोच के अनुरूप सहभागिता के साथ और विकास करना होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. The problem of hunger in India does not lie in food production but various other underlying issues. Discuss in the wake of decline in India's ranking in the Global Hunger Index, 2021. **(250 words) 15**

भारत में हंगर (भूखमरी) की समस्या खाद्य उत्पादन में नहीं बल्कि अन्य कई अंतर्निहित मुद्दों के कारण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021 में भारत की रैंकिंग में गिरावट के आलोक में चर्चा कीजिए।

FAO के अनुसार - हंगर से तात्पर्य जीवन के सामान्य क्रियाकलापों को करने के लिये आवश्यक ऊर्जा युक्त भोजन न किये जाने से है।

हालिया वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 94 से गिरकर 101/116 हो गयी।

मुद्दे :- भारत में फसल उत्पादन रिकार्ड 300 MMT से अधिक है। (आधिक्य)

- फल-सब्जी बागवानी उत्पादन = फसल से अधिक

फिर भी चाइल्ड स्टंटिंग = 35% बच्चे
वेस्टिंग = 17% बच्चे।

NFHS-5 के अनुसार कुल महिलाओं में 58% एनीमिया से पीड़ित है।

कारण

भोजन उपलब्धता
- अन्तर्राज्यीय आपूर्ति व जनजातीयों तक आपूर्ति।
- अनाज का FCI गोदामों में सड़ना।
- DDS प्रणाली में लीकेज की समस्या।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

पोषक भोजन का अभाव
- → हरित क्रान्ति - गेंहु, चावल पर फोकस।
- → मंहगी दाल व मोटे अनाज।
- → भोजन विविधीकरण का अभाव (मिड डे मील आदि में)
- → खाद्य अपमिश्रण (Adultration)
- → पश्चिमीकरण - जंक फूड कल्चर।
- → पोषक भोजन तक जागरूकता अभाव।

पोषक तत्व अन्तर्ग्रहण की शरीर क्षमता का अभाव
- → 'वाश' रणनीति (WASH) वाटर, हाइजीन व सैनिटेशन का अभाव।
- → खुले में शौच = आंत संक्रमण = कुपोषण (आर्थिक समीक्षा अवलोकन)
- → मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं।

- सरकारी हस्तक्षेपों के स्तर पर समग्र रणनीति का न होना
  - ↳ कुपोषण को खाद्य उपलब्धता तक सीमित रखना।

आगे की राह :- उपर्युक्त चारों हस्तक्षेपों पर कार्य करना

① खाद्य उपलब्धता :- शांता कुमार समिति के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अनुसार FCI सुधार किये जाये।

(ii) विविधीकरण :- मिड-डे मील, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आन्ध्रप्रदेश की भाँति दाल, मोटे अनाज, दूध, अंडे का समावेशन।

- FSSAI को खाद्य अपमिश्रण को रोकने हेतु कड़े नियम बनाना।

- खाद्य जागरूकता सृजन।

(iii) स्वास्थ्य, स्वच्छता, कुपोषण को समग्र रूप से देखने की रणनीति बनाना।

(iv) पंचायत व महिला सशक्तिकरण :- महिला को सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी बनाना।

इसके अतिरिक्त असम के बोनगाईगांव का 'संपूर्णा मॉडल' व झारखण्ड के 'सामर' अभियान की भाँति बहुविध हस्तक्षेपों को अपनाना समय की माँग है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Democratization of primary healthcare is indispensable for fulfilling the objectives of equitable and comprehensive care in India. Discuss.

(250 words) 15

भारत में समान और व्यापक देखभाल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लोकतंत्रीकरण अपरिहार्य है। चर्चा कीजिए।

भारत में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली है जिसमें सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली विद्यमान है।

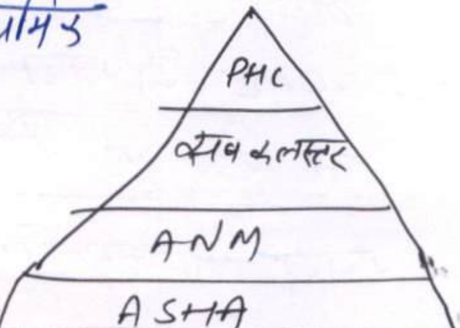

प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली संरचना

अल्मा-आटा घोषणा के अनुसार (1978) :- प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली वह प्रणाली है जिससे किसी भी मरीज का सर्वप्रथम संपर्क होता है।

क्यु प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली ज़रूरी | क्योंकि अल्मा-आटा की घोषणा ने बहुआयामी सिद्ध किया है जो निम्न स्तरों पर सहायता करती है -

(i) टीकाकरण (ii) सामान्य रोग देखभाल

(iii) मातृ व शिशु स्वास्थ्य

(iv) पोषक (पूरक) आहार

(v) बाल स्वास्थ्य

(vi) स्वास्थ्य जागरूकता सृजन।

उपर्युक्त प्रणाली के कारण रोगी का इलाज प्रारंभ में ही हो जाता है।

→ उसे ऊपरी स्तरों पर जाना ही नहीं पड़ता।

→ स्वस्थ्य जीवन शैली, टीकाकरण के कारण → बचावमूलक चिकित्सा को प्रोत्साहन (Preventive)

→ कल्याण को प्रोत्साहन।

→ स्वास्थ्य पर 'बाह्य जेब खर्च' कम

→ प्रारंभिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग से NCD's का खतरा कम।

उपर्युक्त सभी कार्यों व कारणों से PHC's की महत्ता अपरिहार्य सिद्ध होती है।

इसे सुदृढ़ करने हेतु उपाय

(i) उचित डॉक्टर भर्ती + स्वास्थ्य मंत्रालय की ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार ग्रामीण स्तरों पर 76% PHC's में डॉक्टरों की कमी है।

(ii) आयुष - आधुनिक चिकित्सा पद्धति का

संतुलित समावेश करना।

(ii) दृष्टिकोण सुधार — निवारात्मक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक, कल्याणात्मक

(iii) तकनीक प्रयोग -
. टेलीमेडीसीन
उदा० इको (ECHO) क्लिनिक की संकल्पना।

(iv) ग्रामीण स्तर पर 'आशा' व ANM को सुदृढ़ बनाना।

(v) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हेल्थ 4 वेलनेस सेंटर' का उचित कार्यान्वयन।

इसके अलावा दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक या केरल के बीमा मॉडल आदि से सीख लेकर इस स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिये ताकि सतत विकास लक्ष्य -3 को प्राप्त किया जा सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. In the context of the evolving discourse on the Indo-Pacific, analyse the factors driving the global shift towards the region. Also, identify India's interests and challenges in this regard. **(250 words) 15**

हिंद-प्रशांत (इंडो-पसिफिक) पर विकसित हो रहे संवाद के संदर्भ में, इस क्षेत्र की ओर वैश्विक झुकाव को प्रेरित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इस संबंध में भारत के हितों और चुनौतियों की भी पहचान कीजिए।

इंडो पैसिफिक एक व्यापक भू-राजनीतिक डोमेन को व्यक्त करता है जिसमें हिंद महासागर से प्रशान्त महासागर तक का क्षेत्र विद्यमान है।

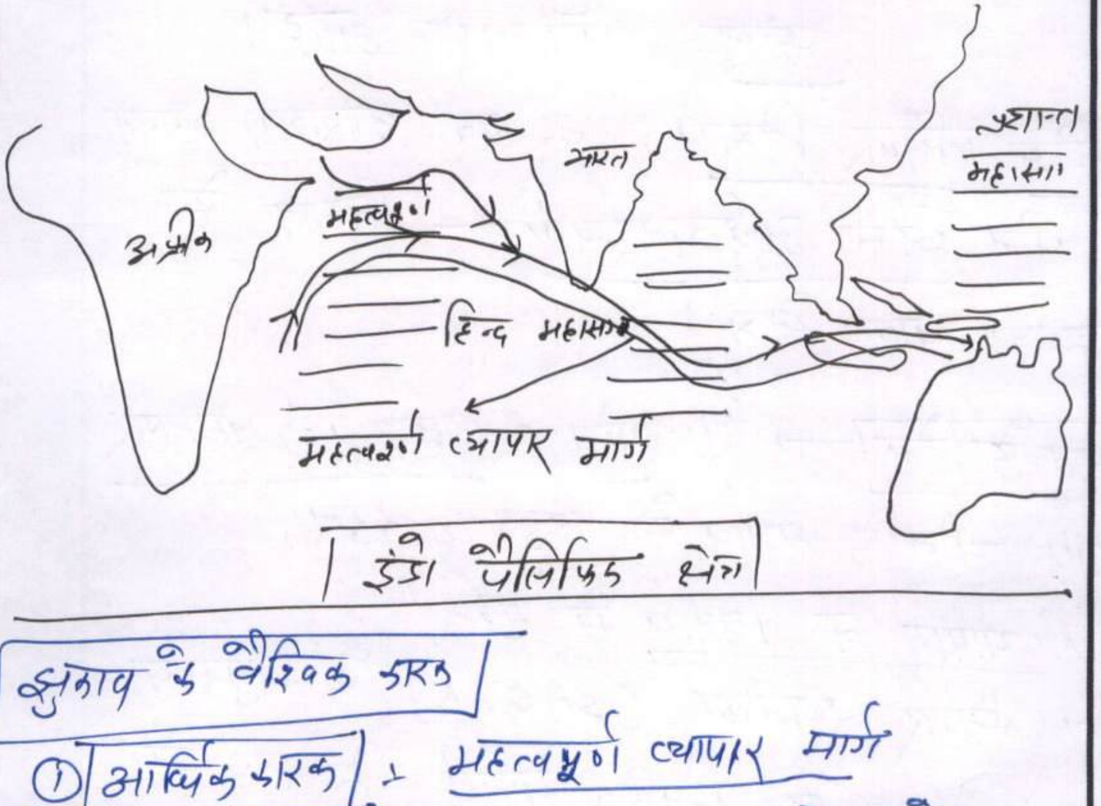

इंडो पैसिफिक क्षेत्र

झुकाव के वैश्विक कारक

① आर्थिक कारक :- महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग

→ भारत का 60% तेल व्यापार इस क्षेत्र से

→ चोक प्वाइंट :- मलक्का स्ट्रेट, फारस की खाड़ी आदि बिन्दु।

- महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन → मछलियाँ, तेल, पॉली मैटेलिक नोड्यूल

② राजनीतिक कारक
→ चीन का बढ़ता प्रभाव (सैन्यअड्डे)
→ संघर्षों का क्षेत्र

पश्चिम एशिया | पूर्वी अफ्रीका | 'दक्षिण' चीन सागर ।

③ सामरिक कारक : महत्वपूर्ण शक्तियों की उपस्थिति = US = डिएगो गार्सिया, जिबूती
फ्रांस = मॉरिशस आदि।

④ तीव्र एशियाई विकास : द. पूर्वी एशिया, भारत चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएँ — विकास के सामर्थ्य वाला क्षेत्र ।

भारत के हित → (i) शांत व समृद्ध हिंद महासागर
(ii) चीन के प्रभाव को संतुलित करना।
(iii) व्यापार व विकास में वृद्धि।
(iv) सागर रणनीति (SAGAR) के अनुरूप पारंपरिक व गैर-पारंपरिक खतरों के रूप में 'निवल सुरक्षा प्रदाता' बनना।
(v) भौगोलिक उपस्थिति से व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ लेना।
(vi) क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाये रखना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियां (i) हित भिन्नता - अलग-अलग शक्तियों के।

(ii) चीनी प्रभाव : स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
 BRI - चेकबुक डिप्लोमेसी।

(iii) भारत की सीमित आर्थिक व सैन्य क्षमता।

(iv) 'क्वाड' के अलग ऑकस जैसे समूह।

(v) पारंपरिक शत्रुओं - पाकिस्तान की उपस्थिति।

(vi) सहयोग संतुलन - रूस व अमेरिका आदि।

आगे की राह (i) एक स्पष्ट रणनीति - ताकि
 - मुक्त, स्वतंत्र व समावेशी रणनीति हो।
 - नियम आधारित व्यवस्था हो।
 क्षेत्र को शक्तियों के संघर्ष के बजाय सहयोग का क्षेत्र बनाना।

(ii) आसियान के केन्द्र में रखकर जापान, US व यूरोप की नीतियों से जुड़ाव।

(iii) क्वाड को क्वाड + में रूपान्तरित करना।

प्रधानमंत्री के 'शांगरी-ला वार्ता' के विजन 2018 के अनुरूप नीति-निर्माण व बर्डन शेयरिंग मॉडल के तहत आगामी कार्यवाही बढ़ानी चाहिये।

20. India's Afghanistan policy must be based on a clear-eyed understanding of important strategic goals in the region amidst the current regional and global strategic environment. Elaborate. **(250 words) 15**

भारत की अफगानिस्तान नीति वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक परिवेश के बीच इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों की स्पष्ट समझ पर आधारित होनी चाहिए। सविस्तार वर्णन कीजिए।

अफगानिस्तान में हालिया तख्तापलट के बाद भारत के सामने नीतिगत व दृष्टिकोण परिवर्तन की चुनौती उत्पन्न हुई है –

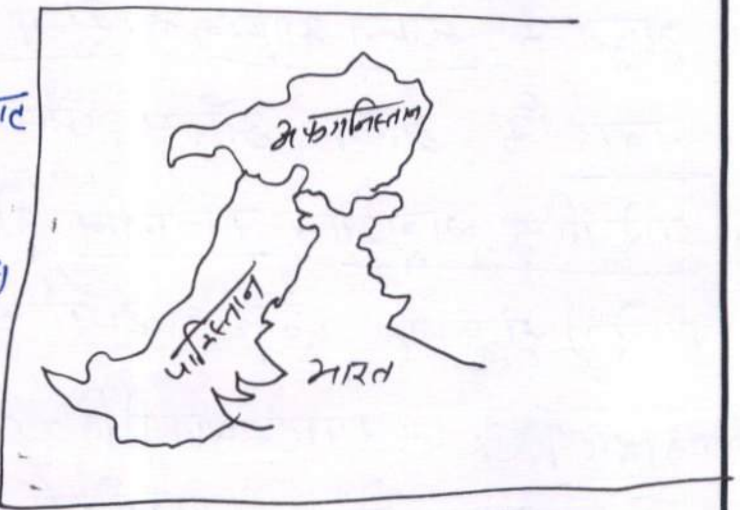

वैश्विक व क्षेत्रीय परिवेश

(i) तालिबान विरोध :- अमेरिका, यूरोप द्वारा।

(ii) सहयोग :- चीन रूस, पाकिस्तान

(iii) मानवाधिकार व तालिबान द्वारा लोकतंत्र, विधि के शासन व वैश्विक व्यवस्था को मानने का मुद्दा।

भारत की कार्यवाही

भारत के पारंपरिक नीति व रणनीतिक लक्ष्य:-

(i) अफगान चालित, नियंत्रित व स्थापित सरकार को प्रोत्साहन

- मानवाधिकार व मानवीय सहायता।

हालिया लक्ष्य

(i) राजनीतिक स्वायत्तता व व्यावहारिक विदेश नीति के अनुरूप लक्ष्य निर्धारण।

(ii) बदलते विश्व में मुद्दा आधारित निर्णय

(iii) तटस्थता के बजाय संलग्नता द्वारा हित साधने पर ज़ोर।

कार्यवाही

(i) अफगानिस्तान के साथ अनौपचारिक वार्ता
उदा० दोहा सम्मेलन।

(ii) विकास कार्यों को जारी रखना : 3 Bl $ का निवेश

(iv) मानवीय कार्यों व भारतीय छवि को अफगान नागरिकों में मजबूत बनाना
उदा० हालिया नवम्बर में कोविड के समय दी गई राहत सामग्री सहायता।

(v) लाइक मांइडेड देशों यथा — अमेरिका, जापान से सहयोग ताकि भविष्य में कार्यवाही को रूप दिया जा सके।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अन्य स्तर → विभिन्न मंचों - शंघाई सहयोग संगठन, सार्क आदि में अनौपचारिक वार्ता शुरुआत करना।

— मानवाधिकार, लोकतंत्र के मुद्दे पर तालिबान से वार्ता करना।

इस प्रकार भारतीय कार्यवाही उसकी क्षेत्रीय अखंडता, आतंकवादी खतरों (हक्कानी नेटवर्क) से बचाव, आर्थिक निवेश सुरक्षा हित व अफगान नागरिकों के कल्याण जैसे मुद्दों से निर्देशित होनी चाहिये।

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in